सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No NCST/DEV-666/JH/4/2022-ESDW-RU-IV

Dated:- 6/.05.2025

To,

The Deputy Commissioner,
District - West Singhbhum,
District Collectorate Building,
West Singhbhum,
Chaibasa-833201, Jharkhand
E-Mail: c-wss@nic.in
Phone No. 6200886027

Sub:- Representation of Shri Vijay Kumar Melgandi, Mahamantri Jharkhand Pradesh, BJP ST Morcha, R. P. Colony, Ward No.-3, Bhaliyakudar Chakradharpur, West Singhbhum, Jharkhand regarding the effect on livelihood by throwing residue in the fields of the tribals.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of the Minutes of the sitting held on 28.02.2025 under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on the above mentioned subject for necessary action.

It is requested that compliance report in the matter on the recommendation may be furnished to this Commission within 15 days positively for placing the same before the Hon'ble Commission.

Yours faithfully

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to:-

Shri Vijay Kumar Melgandi,
RP Colony, ward no- 03,
Bhaliakudar Chakradharpur,
West Singhbhum
Jharkhand
Ph. 9431347906

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-666/JH/4/2022-ESDW

मौज़ा जामकुंडिया के रैयतों की उपजाऊ भूमि SAIL के गुवा लौह अयस्क खान के मलबे के निक्षेप से प्रभावित परिवारों के एक एक सदस्य को नौकरी देने के संबंध में श्री विजय कुमार मेलगंडी, चक्रधरपुर, पश्चिम सिंहभूम का अभ्यावेदन दिनांक 30.10.2021 की शिकायत में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को हुई सिटिंग /सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक	:	28.02.2025 को 04:30 बजे ।
सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-। के अनुसार ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली में श्री विजय कुमार मेलगंडी से अभ्यावेदन दिनांक 30.10.2021 में शिकायत प्राप्त हुई कि जिला पश्चिम सिंहभूम के मौज़ा जामकुंडिया के रैयतों की उपजाऊ कृषि भूमि SAIL के गुवा लौह अयस्क खान से बहते लाल पानी, मिट्टी, एवं कंकर पत्थर से पूरी तरह बंजर हो चुकी है और किसान दाने-दाने को मोहताज हैं । उन्होने आयोग से प्रकरण में यथाशीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया ताकि गरीब किसानों को रोजी-रोटी मिल सके ।

2. उपरोक्त शिकायत पर आयोग द्वारा दिनांक 18.10.2022 को उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम को 15 दिन के भीतर आवश्यक कार्रवाई हेतु नोटिस भेजा गया । आयोग के निर्देश पर उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम ने दिनांक 20.10.2022 को अनुमंडल अधिकारी, जगननाथ पुर, जिला-खनन अधिकारी पश्चिम सिंहभूम और अंचल अधिकारी, नोवामुंडी को मामले की जांच पड़ताल कर संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 02.11.2022 तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ।

3. उपरोक्त अधिकारियों एवं अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के चार सदस्यीय दल ने प्रकरण की जांच की और संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 01.11.2022 को उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम को प्रस्तुत किया, जिसे उपायुक्त ने पत्रांक 4021/गो. दिनांक 03.11.2022 के माध्यम से आयोग को भेज दिया था। उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम, झारखंड के कार्यालय से प्राप्त 03.11.2022 के प्रतिवेदन के अनुसार, SAIL द्वारा संचालित गुवा खान प्रक्षेत्र से निकलने वाली लाल पानी युक्त मिट्टी और लौह अयस्क युक्त कंकड़-पत्थर बारिश के दौरान रानीचुवा और कुमसुकुम नालों के माध्यम से बहकर कोयना नदी के किनारे स्थित रैयतों की कृषि भूमि में जमा हो जाते है, जिससे कुल 18 रैयतों की भूमि पूरी तरह बंजर हो गई। इसके अतिरिक्त, मौजा दुईया, सलाई, राजाबेड़ा, कुंबिया, चुरगी, लेमरा, दोदारी और हिन्नुवा समेत कई अन्य गांवों में भी यही समस्या पाई गई। पहले इन गांवों को खदानों से रोजगार और CSR सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन बाद में कई खदानें बंद हो जाने से ग्रामीणों को केवल दुष्प्रभाव झेलना पड़ा, जबकि उन्हें कोई लाभ नहीं

3/3/2025

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

मिला। स्थानीय प्रशासन की जांच में यह पुष्टि हुई कि SAIL गुवा खान से बहने वाले मलबे के कारण रैयतों की भूमि बंजर हो गई और उनकी शिकायतें सही पाई गईं। परिस्थितियों को देखते हुए, CSR क्षेत्र का पुनः सीमांकन करने की आवश्यकता महसूस की गई ताकि ग्रामीणों को पहले की तरह लाभ मिल सके।

4. जांच दल की रिपोर्ट एवं शिकायतकर्ता के प्रत्युत्तर पर प्रशासन द्वारा लंबे समय से कोई कार्रवाई न होने के कारण, आयोग ने **09.10.2023** को **उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम** को **15 दिनों के भीतर** कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। परंतु **रिपोर्ट प्राप्त न होने पर**, **04.12.2023** को सिटिंग की गई, जिसमें आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की गईं थी :-

i. SAIL द्वारा चाईबासा (पश्चिम सिंहभूम) के मौजा-जामकुड़िया, थाना-39 के रैयतों के गुवा लौह अयस्क खान के निक्षेप से प्रभावित कृषि भूमि के स्वामी उन 18 परिवारों के नियोजन पर तत्काल विचार किया जाये, जिन्हें जिला प्रशासन की स्थलीय जांच रिपोर्ट दिनांक 03.11.2022 में सूचीबद्ध किया गया था ।

ii. गुवा लौह अयस्क खान के निक्षेप से प्रभावित इन प्रभावित परिवारों को आजीविका के हनन हेतु नियमानुसार आर्थिक मुआवजा दिया जाये ।

iii. स्थलीय जांच रिपोर्ट दिनांक 03.11.2022 के अनुरूप वर्तमान में सेल एवं अन्य चालू खदानों के बीच यथा शीघ्र सी०एस०आर० क्षेत्र का पुनः सीमांकन कराया जाये ।

iv. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) एवं जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) की निधि का क्षेत्र में स्कूल, अस्पताल, आने एवं जाने का रास्ता इत्यादि विकास कार्यों में प्रभावी उपयोग किया जाये ।

v. उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं SAIL गुवा के साथ बैठक कर प्रभावित परिवारों के राहत एवं मुआवज़ा के संबंध में कार्रवाई के ठोस बिन्दु तैयार किए जाये और सभी संबन्धित को यथा शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिये जाएँ । दोनों संगठन अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से आयोग को प्रस्तुत करेंगे और आयोग की अगली बैठक में इन दोनों संगठनों के उच्च प्राधिकारियों को भी बुलाया जाएगा ।

vi. जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 03.11.2022 में आयोग को जांच प्रतिवेदन भेजने के एक वर्ष बाद भी अभी तक उपायुक्त द्वारा समस्या के निदान एवं पीड़ितों की राहत के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है, इस विलंब के संबंध में उपायुक्त द्वारा लिखित स्पष्टीकरण आयोग को प्रस्तुत किया जाये ।

vii. बैठक के दौरान अभ्यावेदक द्वारा वर्ष 2017 में महाप्रबंधक, गुवा क्षेत्र जिला वनधिकारी (DFO सारंडा), रेंजर-गुवा द्वारा किए गए क्षेत्र भ्रमण एवं दिनांक 22.07.2020 को विशेष ग्राम सभा की बैठक के संबंध में के संदर्भ में जो दस्तावेज़ आयोग को दिखाये गए है उसकी प्रति अभ्यावेदक द्वारा आयोग में फ़ाइल अभिलेख हेतु समर्पित की जाये ।

viii. अपर-उपायुक्त द्वारा भी बैठक के दौरान जिला प्रशासन की और से कार्रवाई हेतु निर्गत पत्र दिनांक 02.11.2023 एवं 23.11.2023 की प्रति आयोग को फ़ाइल अभिलेख हेतु समर्पित की जाये ।

ix. SAIL की गुवा खदान एवं समीपवर्ती क्षेत्र में खनन गतिविधियों के संचालन के संबंध में पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) एवं सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) की रिपोर्ट आयोग को समर्पित की जाये ।

x. भूमि सुधार बोर्ड के द्वारा इस क्षेत्र में जांच करके भूमि पुनर्स्थापन (Land Restoration) की संभावनाओं पर एक प्रतिवेदन आयोग को समर्पित की जाये । यदि किसी कारणों से अब प्रभावित भूमि का पुनर्स्थापन करना संभव न हो तो उस भूमि का उपयोग किस प्रकार किया जाये जिससे ग्रामीणों को आजीविका या अन्य प्रकार का लाभ मिल सके, इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा आयोग के समक्ष एक ठोस कार्य योजना/सुझाव प्रस्तुत किए जायें ।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

xi. SAIL द्वारा गुवा खनन क्षेत्र में "कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) की निधि का पिछले 05 वर्षों में किस प्रकार उपयोग किया गया है और इससे अनुसूचित जनजाति विशेष को क्या लाभ हुआ है, इसकी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जाये ।

xii. सेल गुवा खदान एवं उसके समीपवर्ती खनन क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) की निधि का पिछले 05 वर्षों में किस प्रकार उपयोग किया गया है और इससे अनुसूचित जनजाति विशेष को क्या लाभ हुआ है, इसकी रिपोर्ट भी आयोग को प्रस्तुत की जाये ।

मुख्य सचिव, झारखंड सरकार एवं उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम से उपरोक्त अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाही के संबंध में प्रतिवेदन इस कार्यवृत के प्राप्त होने के सात (07) दिन के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था ।

5. मामले में आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट अब तक प्राप्त न होने के कारण, तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए, आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने 28.02.2025 को पुनः सुनवाई निर्धारित की, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किए गए।

6. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी (S.D.M.), चाईबासा, पश्चिम सिंहभूम , झारखण्ड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, साथ ही शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

7. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

i. मामले में **उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम** द्वारा **आयोग की पूर्व सुनवाई में दी गई अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट** तथा **विलंब के कारणों पर लिखित स्पष्टीकरण 15 दिनों के भीतर** आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

आशा लकड़ा
22/04/2025

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-666/JH/4/2022-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **28.02.2025 at 04:00 P.M** - Shri Vijay Kumar Melgandi, Mahamantri Jharkhand Pradesh, BJP ST Morcha, R. P. Colony, Ward No.-3, Bhaliyakudar Chakradharpur, West Singhbhum, Jharkhand regarding the effect on livelihood by throwing residue in the fields of the tribals.

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Surat Singh Joint Secretary		
3.	Shri Rahul Investigator		
4.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
5.	Shridhar R. Joshi		[signature]
6.			
7.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner,** West Singhbhum		
1.	Sandeep Anurag Topno SDM - Chaibasa Sadar.	7992346497	[signature]
2.			
3.			
III	**Petitioners**		
1.	Bijai Kr. Melgandi		[signature]
2.			